

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 62/2016

प्रार्थी/वादी:-

1. तहसीलदार (भूमिधारी),
पाली

बनाम अप्रार्थी/प्रतिवादीगण:-

1. सुनील कुमार वल्द सायर चन्द जाति जैन
साकिन 34 तिलक नगर पाली।

उपस्थिति:-

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री बाबूलाल मेवाड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी


वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

-:निर्णय:-

दिनांक 28.02.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पाली चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1087/1 कुल रकबा 2.07 बीघा किस्म नहरी दायम भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 1087 अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें खसरा नम्बर 1087 रकबा 2.07 बिघा किस्म नहरी दायम में अप्रार्थीगण सुनील कुमार वल्द सायर चन्द जाति जैन साकिन 34 तिलक नगर के हिस्से की भूमि में 2.07 बिघा भूमि पर फैंक्ट्री अडान वुडन फर्नीचर पालिसिंग कर पक्का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1087/1 के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने से उर्वरता नष्ट करने से फलस्वरूप उक्त कृषि कार्य नहीं रही तथा भूमि की उर्वरता उत्पादकता खत्म हो गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1087/1 रकबा 2.07 बिघा में अप्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण करने से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। कृषि भूमि पर कृषि हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप अप्रार्थीगणों द्वारा नष्ट किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रही गई है अतः उक्त कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य कर कृषि भूमि को क्षति पहुंचा कर कृषि योग्य नहीं रखने दिये जाने से अप्रार्थीगणों का यह कृत्य राजस्थान कास्तकार अधिनियम की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघन होने से खसरा नम्बर 1087/1 रकबा 2.07 बिघा किस्म नहरी दायम भूमि के प्रतिवादी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावे।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।


सहायक कलेक्टर
पाली

3. उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.01.2018 को वाद मे परिणित किया जाकर वाद की तरह सुनवाई करने हेतु आदेश दिया गया।

4. प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी सुनील कुमार की ओर से वाद की तरह कन्टेस्ट करने हेतु निवेदन करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को वाद मे परिणित किया गया। प्रतिवादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजन से उपयोग नहीं किया जा रहा है। मौके पर फैंक्ट्री अडान बुडन फर्नीचर पालिसिंग कर पक्का निर्माण नही करवाया जा रहा है। एवं ना ही अकृषि कार्य उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी के द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन से नहीं किया जा रहा है, वादी द्वारा प्रतिवादी पर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन से नहीं किया जा रहा है, वादी द्वारा प्रतिवादी पर कृषि भूमि की उर्वरता को नष्ट करने का गलत आरोप लगाया है, वादी द्वारा कृषि भूमि की उर्वरता से संबंधित मृदा विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट वास्ते सबूत पेश नहीं की है। वादी द्वारा मृदा विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट के बिना कृषि भूमि का कृषि योग्य नहीं होना तथा भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता का खत्म होना वादी द्वारा प्रतिवादी पर मनमर्जी से आरोप लगाना दर्शाता है तथा प्रतिवादी पर लगाए गए आरोप से संबंधित सबूत नहीं होने के कारण से वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध पेश किया गया परिवाद खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र मे टंकित भूमि पर कोई भी अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः परिवाद का जवाब सुनील कुमार की ओर से पेश कर निवेदन है कि वादी के दावे की खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

5. वाद मे तनकियात दिनांक 01.07.2016 को निम्न प्रकार से कायम की गई-

5/1 पाली चक प्रथम के खसरा नंबर 1087/1 रकबा 2.07 बीघा मुताबिक रेकर्ड कृषि भूमि है या नहीं (वादी)

5/2 उक्त भूमि का खातेदार द्वारा अकृषि उपयोग मे लेकर भूमि का स्वरूप परिवर्तन किया या नहीं- (वादी)

5/3 खातेदार द्वारा भूमि का अकृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण करवाया या नहीं (प्रतिवादी)।

6. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

7. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने बहस के दौरान निवेदन किया कि सरहद मौजा पाली चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1087/1 कुल रकबा 2.07 बीघा किस्म नहरी दोयम भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। खसरा नम्बर 1087 अप्रार्थीगण की खातेदारी



Rahi

सहायक कलेक्टर
पाली

कृषि भूमि है। जिसमें खसरा नम्बर 1087 रकबा 2.07 बिघा किस्म नहरी दायम में अप्रार्थीगण सुनील कुमार वल्द सायर चन्द जाति जैन साकिन 34 तिलक नगर के हिस्से की भूमि में 2.07 बिघा भूमि पर फ़ैक्ट्री अडान बुडन फ़र्नीचर पालिसिंग कर पक्का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1087/1 के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने से उर्वरता नष्ट करने से फलस्वरूप उक्त कृषि कार्य नहीं रही तथा भूमि की उर्वरता उत्पादकता खत्म हो गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1087/1 रकबा 2.07 बिघा में अप्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण करने से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। कृषि भूमि पर कृषि हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप अप्रार्थीगणों द्वारा नष्ट किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रही गई है अतः उक्त कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य कर कृषि भूमि को क्षति पहुंचा कर कृषि योग्य नहीं रखने दिये जाने से अप्रार्थीगणों का यह कृत्य राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। कृषि भूमि पर कृषि हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप अप्रार्थीगणों द्वारा नष्ट किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रही गई है अतः उक्त कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य कर कृषि भूमि को क्षति पहुंचा कर कृषि योग्य नहीं रखने दिये जाने से अप्रार्थीगणों का यह कृत्य राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन होने से खसरा नम्बर 1087/1 रकबा 2.07 बिघा किस्म नहरी दायम भूमि के प्रतिवादी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावे। उक्त कृषि भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने के कारण मेरे द्वारा उक्त भूमि को धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जो इस प्रकरण में मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 218 बीघा किस्म जमीन चाही दायम भूमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फ़ेरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है।



8. वहस उभयपक्ष पर मगन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा पाली चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1087/1 रकबा 2.07 बिघा किस्म नहरी दायम वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षेत्राधिकार से बाहर हो

Rohi
सहायक कलेक्टर
पाली

कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाकर नगर विकास न्यास,पाली को सूचित किया जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर दाखिल दफ़्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।



Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

